

न्यायालय— अपर जिला जज, कक्ष सं० १, कन्नौज।

उपस्थिति—विश्वमिर प्रसाद.....(एच०जे०एस)

सिविल रिवीजन संख्या 43/19

**C.N.R. No. U.P.K.J. 010062152017**

1. शिवकन्ठ लाल पुत्र रामनरेश सैनी निवासी डाक बंगला रोड सरायमीरा परगना तहसील व जिला कन्नौज।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. हरनाथ सिंह पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम वलई मौजा रितुकाला पर० तह० व जिला कन्नौज।

.....विपक्षीगण

### निर्णय

प्रस्तुत सिविल निगरानी निगरानीकर्ता शिवकन्ठ द्वारा प्रत्यर्थी हरनाथ सिंह के विरुद्ध मूलवाद सं० ०१/७४/१९१६ हरनाथ सिंह बनाम शिवकन्ठ में न्यायालय सिविल जज सी०डि० कन्नौज द्वारा पारित आदेश दिनांक ०६.११.२०१९ के विरुद्ध योजित की गयी है।

संक्षेप में निगरानी के आधार निम्नवत है—

विद्वान अवर न्यायालय ने जो प्रश्नगत आदेश पारित किया है वह गलत व खिलाफ कानून है तथा पत्रावली का गहनता से अध्ययन न करके आलोच्य आदेश पारित किया गया है। रेस्पाण्डेन्ट ने तजबीजसानी प्रार्थनापत्र में जो वजह मुकदमा खारिज हो जाने व उसकी जानकारी न होने की जाहिर की है कर्तई विश्वसनीय नहीं है। रेस्पाण्डेन्ट के कथनानुसार जब सर्वप्रथम दिनांक १०.०७.२०१५ करे तजबीजसानी की पत्रावली इजराय की पत्रावली के साथ न्यायालय में पेश न होने की जानकारी हो गयी थी। तब रेस्पाण्डेन्ट को पत्रावली को निरन्तर ढुढ़बाना चाहिए था। अगर उस दिन पत्रावली नहीं मिल सकी थी तब उसे दूसरे दिन न्यायालय में आकर पता करना चाहिए था। मगर वह जानबूझकर पता करने नहीं आया। उसके बाद कई तारीख इजराय में पड़ती रही, जिसमें वह न्यायालय आता रहा फिर भी उसने पत्रावली का पता नहीं लगाया जबकि उसे मालूम था कि तजबीजसानी की पत्रावली इजराय के साथ पेश्तर से अलग हो गयी थी।

चूंकि इजराय नम्बरी ११/१२ व मूल तजबीजसानी नम्बर १५/७४/१४ की सुनवाई एक साथ समेकित होकर नहीं हो रही थी लिहाजा रेस्पाण्डेन्ट का यह कथन कि वह समझता रहा कि दोनों वाद इजराय व मूल तजबीजसानी नम्बर १५/७४/१४ की पत्रावली एक साथ पेश होती रहेगी सरासर गलत है इस बात पर कर्तई यकीन नहीं किया जा सकता है। रेस्पाण्डेन्ट ने कोई माकूल वजह जाहिर नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर अपना कोई ध्यान आकर्षित न करके आलोच्य आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। आलोच्य आदेश कायम रहने से अपीलार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। रेस्पोण्डेन्ट

ने तजबीजसानी काफी विलम्ब से प्रस्तुत की है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जो वजह जाहिर है कि वह कर्त्तव्य स्वीकार करने योग्य नहीं है।

उपरोक्त आधारों का उल्लेख करते हुए निगरानी को स्वीकार किये जाने एवं विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद संख्या 01/74/2016 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 06.11.2019 को निरस्त कर पत्रावली विवरण निम्न को तलब फरमाकर शामिल मिशिल किये जाने का निवेदन किया।

निगरानीकर्ता का कथन है कि विपक्षी को मूल तजबीजसानी सं0 15/74/14 की पत्रावली इजराय वाद की पत्रावली से अलग हो गयी थी तो विपक्षी को दूसरे दिन ढूढ़ना चाहिए था। विपक्षी मात्र यह बहाना कर रहे हैं कि इजराय वाद के साथ ही पुनः स्थापित करने की पत्रावली 15/74/14 लगी थी। जबकि यह पत्रावली उससे अलग हो गयी थी। यह बात इनको पूर्ण रूप से मालूम थी, किन्तु जानबूझकर यह उपस्थित नहीं हुए थे और मुकदमा सं0 01/74/16 हरिनाथ बनाम शिवकन्ठ के वाद में दिनांक 06.11.2019 को जो आदेश पारित किया गया वह सरसरी तौर पर किया गया है। जिसमें विधिक त्रुटि है। अतः आदेश दिनांक 06.11.2019 निरस्त किया जाये।

इसी प्रकार विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि इजराय वाद के साथ ही मूल तजबीजसानी 15/74/14 की पत्रावली लगी रहती थी, किन्तु इसे निगरानी ने जानबूझकर इजराय वाद की पत्रावली से अलग करवा दिया, जिससे विपक्षी को जानकारी नहीं हुई और मुकदमा अदम पैरवी में खारिज हो गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम व आदेश 9 नियम 9 धारा 151 सी०पी०सी० के अंतर्गत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया है। वह विधिपूर्ण है उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाये।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2019 को धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र इस आधार पर स्वीकार किया गया है कि दिनांक 10.07.2015 को मूल प्रकीर्णवाद की पत्रावली की तिथि नियत थी और यह इजराय वाद की पत्रावली के साथ सुनी जाती थी। इसलिये दिनांक 10.07.2015 को प्रार्थी उपस्थित नहीं आया जिस कारण इनके मूलवाद की पत्रावली खारिज कर दी गयी और जो कारण लिखा गया है वह यह लिखा गया है कि उसे तारीख की जानकारी नहीं हो पायी थी हुई देरी को क्षमा किया जाये। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र दिनांक 06.11.2019 को स्वीकार किया गया एवं इसी तिथि को आदेश 9 नियम 9 धारा 151 सी०पी०सी० का प्रार्थनापत्र भी स्वीकार किया गया कि इजराय वाद के साथ ही मूल प्रकीर्ण वाद की पत्रावली 15/74/14 सुनी जाती थी, किन्तु इजराय वाद से अलग हो गयी और मूल प्रकीर्ण वाद में वह दिनांक 10.07.2015 को उपस्थित नहीं हो सका और कारण यह बताया कि उसे इस तिथि की जानकारी नहीं थी। विद्वान अवर

न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को हर्जे पर स्वीकार किया गया है और आदेश दिनांक 10.07.2015 को निरस्त किया गया और प्रकीर्ण वाद को पुर्नस्थापित किया गया है। जो गुण दोष के आधार पर आदेश पारित किया गया है इसलिये निगरानी निरस्त किया जाये।

इस सम्बन्ध में विपक्षी की तरफ से निम्न नजीर प्रस्तुत की गयी है—

**उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम तृतीय अतिरिक्त जिला जज आजमगढ़ और अन्य ए0आई0आर0 1989 इलाहाबाद पेज 14 में माननीय उच्च न्यायालय पर यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि ——**

“ The findings recorded by the trial court about the sufficient having been made out by the defendants under O.9, R.13 of the code for restoring the suit and sufficient ground for condonation of delay under S.5 of the limitation act was made out were essentially findings of fact and the same can not be re-examined by the revisional court undr S. 115 of the code. ”

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारण पाते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया एवं नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने का कारण भी पर्याप्त पाते हुए पुर्नस्थापित प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिये दिनांक 06.11.2019 को जो आदेश पारित किया गया है वह विधिपूर्ण है अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया गया है उसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.11.2019 विधिपूर्ण है उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

### आदेश

निगरानीकर्ता की निगरानी सं0 43/2019 शिवकन्ठ बनाम हरनाथ सिंह निरस्त की जाती है। सिविल प्रकीर्ण वाद की पत्रावली अवर न्यायालय को वापस भेजी जाये।

**दिनांक – 15.12.2021**

(विश्वभर प्रसाद)

अपर जिला जज  
कक्ष सं0 1,कन्नौज।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

**दिनांक – 15.12.2021**

(विश्वभर प्रसाद)

अपर जिला जज  
कक्ष सं0 1,कन्नौज।